COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

(369)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 /16 नि0मा0

जयराम पुत्र नाथूराम आयु 45 साल जाति जाटव धन्धा मजदूरी निबासी खेरिया तोर मेंहगांव जिला भिण्ड म0प्र0

—————————निगरानी कर्ता

बनाम

योगेश पुत्र रामदुलारे आयु 32 साल जाति जाटव निबासी खेरिया तोर मेंहगांव जिला भिण्ड म0प्र0—

—————————नॉन निगरानी कर्ता

निगरानी बिरूद्ध न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण कमांक 584/12—13,नि0मा0 के पारित आदेश दिनांक 12—7—16, से दुखित होकर धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

सेवा में मुझ निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:—

निगरानी के तथ्य

1. यह कि निगरानी कर्ता द्वारा एवं ग्राम पंचायत खेरिया तोर की सहमति के आधार पर न्यायालय कलेक्टर भिण्ड के प्रकरण कमांक 19/97—98 अ—59 आदेश दिनांक 6—3—98, के अनुसार भूमि कमॉक 112 रकवा 1.045, को आबादी घोषित किया जाकर संलग्न सूची मुताबिक 126 लोगों का आबास हेतु उपयोग होना

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2474–एक/2016 जिला–भिण्ड

जयराम विरूद्ध योगेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर भिण्ड, जिला–भिण्ड के प्र. क्र. 584/2012–13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12–07–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग,चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11.3.19 (आर0के0 जैन) सदस्य	